फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री तुषार सालवी निवासी टांटोल तहसील खमनोर जिला राजसमन्द – **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर – **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 85/2024**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 08.11.2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित ऑनलाइन प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर से जरिये पत्र क्रमांक :–आर.टी.आई./2024/535 दिनांक 25.10.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील दिनांक 09.10.2024 के नोटिस द्वारा चाही गई सूचना सृजनात्मक एवं प्रश्नवाचक प्रकृति की है। तथा उक्त सूचना से संबंधित दस्तावेज कार्यालय में संधारित नहीं है लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना सृजनात्मक एवं प्रश्नवाचक प्रकृति की होने एवं आरटीआई की धारा 2 एच व 6 (1)(बी) के अनुसार चाही गई सूचना में स्पष्ट विशिष्टियॉ का अंकन नही किया गया। अधिनियमानुसार सामग्री से निष्कर्ष निकाल कर, तथ्यों को खोजकर प्रार्थी को उपलब्ध कराना विधिनुमत नही हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम,05 की धारा 7(9) में सूचनाओं को खोजकर देना अदेय होने से उक्त प्रकरण खारिज किया जाता है निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर) राजसमंद**	